

फा० सं० ए. 12018/08/2018- सीजीएचएस-।


भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग  
सीजीएचएस प्रभाग  
(सीजीएचएस-। अनुभाग)

कमरा सं० 430, 'सी' विंग  
निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 25-09 - 2018

यह विभाग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव की जांच कर रहा है। तदनुसार, एक मसौदा भर्ती नियम तैयार किया गया है और इसकी प्रति संलग्न है।

इस मामले पर हितधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। वेबसाईट पर डालने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियों को अवर सचिव (प्रशासन), सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कमरा सं. 430, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेज दें। साफ्ट प्रति भी s.dharminder@nic.in पर भेजी जाए।

संलग्नक: यथोक्त

  
(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी संबंधित।

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीजीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: अप्रैल, 2018

### अधिसूचना

सां.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर सहायक तथा ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, जहां तक यह ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन से संबंधित है, के भर्ती नियम, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता:- वह व्यक्ति
  - जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
  - जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण; आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले पगाए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ऑपरेशन चिवेटर तकनीशियन	5*(2018)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-ब, अराजपत्रित, अनुसन्धानीय	लेवल 6 (₹. 35400- 112400)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए आयु सीमा में चालीस वर्ष तक की तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए पेंतालीस वर्ष तक की है)
					टिप्पणी 1: आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि भारत में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अस्सीनाचल प्रदेश, चिन्हा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों की अंतिम तिथि।
					टिप्पणी 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने के मामले में, आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा जाता है।

मीधे भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अहंताएं	मीधे भर्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अहंताएं प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक लागू होनी या नहीं	परीक्षीया को विहित आयु और प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक लागू होनी या नहीं	भर्ति की पद्धति भर्ति मीधे होनी या पद्धति द्वारा असेलन द्वारा भर्ति की दशा में वे शेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ति जाने वाली शिक्षियों को प्रतिशतता	प्रोनति प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाता है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्यः	लागू नहीं	2 वर्ष (मीधे भर्ति व्यक्तियों के लिए)	पद्धति इसके असफल होने पर सीधी भर्ति द्वारा चिकित्सा परिचारकों में पद्धति	अपरेशन सहायकों, सबोधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले चिकित्सा परिचारकों में पद्धति

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से अपरेशन थियेटर तकनीकी में ज्ञातक डिग्री।

टिप्पणी 1: अभ्यार्थियों के मामले में अहंताओं में छूट गूणीएससी/एसएससी/सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार है अन्यथा पूर्णतः अहंता प्राप्त।

टिप्पणी 2: यदि चर्चन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में यदि संघ लोक सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी यह समझते हैं कि अपेक्षित अनुमत रखने वाले इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यार्थियों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुमूलिकता जाति अथवा अनुमूलिकता जनजाति के अभ्यार्थियों के मामले में अहंता (ओं) में छूट दिया जाना संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/ संक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार होगा।

<p>यदि विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) मौजूद है, तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) में होंगे-</p> <p>(1) अपर उप-महानिदेशक (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली - अध्यक्ष</p> <p>(2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली - सदस्य</p> <p>(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) नई दिल्ली - सदस्य</p> <p>(4) प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना (आराजपत्रित), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) नई दिल्ली - सदस्य</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> <p>(13)</p> <p>लागू नहीं</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[सं. ए-12018/09/2018-मीजीएचएस-1]

(धर्मेन्द्र सिंह)  
अवार सचिव, भारत सरकार